

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
आदेश

S.B. Criminal Writ Petition No.139/2015

राजेन्द्र कुमार गोयल एवं अन्य
बनाम
राजस्थान राज्य एवं अन्य

आदेश दिनांक

22 फरवरी, 2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री कपिल जैन अधिवक्ता वास्ते
श्री अनूप ढण्ड अधिवक्ता याची की ओर से
श्री जितैन्द्र श्रीमाली विद्वान् अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य

अधिवक्ता श्री कपिल जैन ने इस मामले में याची के अधिवक्ता श्री अनूप ढण्ड की ओर से उपस्थित होकर बहस हेतु अवसर चाहा, जो प्रार्थनानुसार उन्हे प्रदान किया जाता है।

पत्रावली तीन सप्ताह बाद पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(न्या० बनवारी लाल शर्मा)

अनिलशर्मा/M-80

सत्यमेव जयते